न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 93/2022 जिला दौसा

1. रतनलाल पुत्र बाल्या
2. सूवालाल पुत्र बाल्या
   जाति गुर्जर निवासी बेदाडी गुजरान, तहसील बसवा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुमित्रा पत्नि कन्हैयालाल
2. शांति देवी पत्नि जगदीश
   जाति गुर्जर निवासी भेडाडी गुजरान तहसील बसवा जिला दौसा।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 08.07.2022

उपस्थित—
1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से

अपील संख्या 94/2022 जिला दौसा

1. सूवालाल पुत्र बाल्या
2. रतनलाल पुत्र रामस्वरूप
   जाति गुर्जर निवासी बेदाडी गुजरान, तहसील बसवा जिला दौसा।

—अपीलान्टस

बनाम

1. कन्हैया पुत्र हरसहाय जाति गुर्जर निवासी भेदाडी गूजरान, तहसील बसवा जिला दौसा।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 08.07.2022

उपस्थित—
1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपील संख्या 95/2022 जिला दौसा

1. सूवालाल पुत्र बाल्या
2. बन्ना पुत्र रामस्वरूप
3. मुरल्या पुत्र रामस्वरूप
4. रतनलाल पुत्र बाल्या
   जाति गुर्जर निवासी भेदाडी गुजरान, तहसील बसवा जिला दौसा।

—अपीलान्टस

बनाम

1. जगदीश पुत्र हरसहाय
2. सुमित्रा पत्नि कन्हैयालाल
   जाति गुर्जर निवासी भेदाडी गुजरान, तहसील बसवा जिला दौसा।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 08.07.2022

उपस्थित—

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक —11.07.2023

1. यह तीनों अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलेक्टर बांदीकुई, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 08.07.2022 के खिलाफ प्रा. पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रा. पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 1.11.2022 को प्रस्तुत हुई है ।

2. तीनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन तीनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलियों मे रखी जावे। तीनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 224 पुराना 219 के खसरा नंबर 1522/1065 रकबा 0.35 है0, एवं खतौनी संख्या नई 213 पुरानी 209 के खसरा नंबर 1523/1066 रकबा 0.10 है0, 1525/1067 रकबा 0.05 है0, नया 9 पुराना 10 के खसरा नम्बर 1465/1006 रकबा 1.00 है0 एवं खाता संख्या नया 74 पुराना 56 के खसरा नंबर 1062 रकबा 0.45 है0 खसरा नंबर 1063 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1064 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम बैधाडी गुजरान तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि स्थित है। जिसका सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2021 को तहसीलदार बसवा जिला दौसा के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया। उक्त आराजी के प्रार्थीगण पडौसी खातेदार हैं। रेस्पोडेण्ट जगदी । वगै0, सुमित्रा वगै0, कन्हैयालाल वगै0 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई, जिला दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया/प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार बसवा जिला दौसा को भूमि खाता संख्या नया 224 पुराना 219 के खसरा नंबर 1522/1065 रकबा 0.35 है0, एवं खतौनी संख्या नई 213 पुरानी 209 के खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नंबर 1523/1066 रकबा 0.10 है0, 1525/1067 रकबा 0.05 है0, नया 9 पुराना 10 के खसरा नम्बर 1465/1006 रकबा 1.00 है0 एवं खाता संख्या नया 74 पुराना 56 के खसरा नंबर 1062 रकबा 0.45 है0 खसरा नंबर 1063 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1064 रकबा 0.81 है0 की सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2021 के अनुसार विवादित भूमि की राजस्व टीम गठित कर पर्याप्त पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किये गये।

3. उप जिला कलेक्टर बांदीकुई, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 08.07.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स जगदी ा वगै0, सुमित्रा वगै0, कन्हैयालाल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप जिला कलेक्टर बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 08.07.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि सूवालाल पुत्र बाल्या वगै, रतनलाल पुत्र बाल्या खसरा नम्बर 1007, 1061, 1500/1059 के खातेदार हैं। अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बालाबाला ही बिना नोटिस दिये दिनांक 25.06.2021 को सीमाज्ञान करवा लिया। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना प्रभावित पडौसी अपीलान्ट व अन्य खातेदारान को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना कानून के विपरीत तरीके से उक्त प्रकरण को दर्ज करने का आदेश दे दिया तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट आने पर पडौसी खातेदारान से विवाद की स्थिति है किन्तु उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रभावित व्यक्ति को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर व अधिनस्थ न्यायालय ने बिना वास्तविक स्थिति को देखे बिना दिनांक 08.07.2022 को प्रार्थना को स्वीकार ग्राम बैधाडी गुजरान तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित विवादित भूमि के पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित कर दिये। अप्रार्थीगण द्वारा गलत तरीके से साज करके, नोटिस दिये बिना एवं प्रार्थी की गैरमौजूदगी में सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करवाई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 08.07.2022 निरस्त किया जावे। अपीलान्टान को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम दिनांक 21.10.2022 को गिरदावर व पटवारी मौके पर गये और अपीलान्ट को बुलवाया तथा कहा कि तुम्हारी भूमि के पास की रेस्पोडेन्ट की भूमि की पत्थरगढी करेंगे हमारे पास पत्थरगढी का आदेश तहसीलदार जी से प्राप्त हुआ है इसलिये हम पत्थरगढी करेंगे तो अपीलान्ट ने उक्त लोगों से कहा कि हमें तो कोई सूचना ही नहीं है हमें सुनवायी किये बिना पत्थरगढी का आदेश कैसे हो गया तो उक्त लोगो ने कहा कि यह तो आप उप जिला कलेक्टर कोर्ट बांदीकुई में जाकर तलाश करो आदेश कैसे हुआ है तो अपीलान्ट ने उक्त लोगो को बडी मु ि कल समझा बुझाकर भेजा और दिनांक 22.10.2022 से लेकर दिनांक 26.10.2022 तक का अवकाश होने के कारण दिनांक 27.10.2022 को बांदीकुई उप जिला कलेक्टर न्यायालय में जाकर उक्त आदेश का तलाश किया तो मालूम पडा कि अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही मात्र राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाकर और रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 8.7.2022 को उक्त भूमि की पत्थरगढी का आदेश करवा रखा है और उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जी को आदेश जारी करवा रखा है तब अपीलान्ट को दिनांक 28.10.2022 को उक्त निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 28.10.2022 को मिली तब सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी हुई इससे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी। अपील की जानकारी होते ही जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीया/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 224 पुराना 219 के खसरा नंबर 1522/1065 रकबा 0.35 है0, एवं खतौनी संख्या नई 213 पुरानी 209 के खसरा नंबर 1523/1066 रकबा 0.10 है0, 1525/1067 रकबा 0.05 है0, नया 9 पुराना 10 के खसरा नम्बर 1465/1006 रकबा 1.00 है0 एवं खाता संख्या नया 74 पुराना 56 के खसरा नंबर 1062 रकबा 0.45 है0 खसरा नंबर 1063 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1064 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम बैधाडी गुजरान तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि स्थित है। जिसका सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2021 को तहसीलदार बसवा जिला दौसा के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया है। प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार एवं काश्तकार है एवं उक्त भूमि के सभी सहखातेदारान् को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2021 को तहसीलदार बसवा जिला दौसा के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर नियमानुसार किया गया है। तीनों प्रकरणों में पत्थरगढी से पूर्व सीमाज्ञान करवाया गया है। अपीलान्ट को सीमाज्ञान पर कोई आपत्ति नहीं है। पत्थरगढी का आदेश भी सीमाज्ञान पर ही पारित किया है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सीमा चिन्ह अंकित किये गये व सीमाज्ञान उसी आधार पर किया गया है। नक्शे में कोई गडबडी नहीं है। नक्शे में गडबडी हो तो दुरुस्ती का केस करना चाहिए था जो नहीं किया गया है, केवल कहने मात्र से गडबडी साबित नहीं होती है। मैं अपनी भूमि का कब्जे काश्त व खातेदार हूँ व मैं मेरी भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढी करवा सकता हूँ। अपीलान्ट चाहते हैं तो वो भी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवा सकते हैं, पर इन्होनें अपनी भूमि की नहीं करवायी गई है। 2006 का नक्शे में खसरा नम्बर 1062 को 1065 लिख दिया व ये दोनों खसरे नम्बर मेरे ही है। पूर्व में पटवारी ने गलत खसरा नम्बर अंकित कर दिया था। अपीलान्ट का खसरा नम्बर 1007 है जो दोनों नक्शों में समान है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। इनके सामने मेरी भूमि की पत्थरगढी/सीमाज्ञान कर दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण ने नियमानुसार ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है जिसका उसे अधिकार है। अपीलांट्स पडौसी खातेदार है एवं उनका प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से कोई लेना-देना नहीं है ना ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट्स के खातेदारी अधिकार प्रभावित होते हैं एवं अपीलांट्स द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हमारी खातेदारी की भूमि के सीमाज्ञान से उन्हें किस तरह आपत्ति है। अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी सहखातेदरान् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तीनो पत्रावलियों के रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 224 पुराना 219 के खसरा नंबर 1522/1065 रकबा 0.35 है0, एवं खतौनी संख्या नई 213 पुरानी 209 के खसरा नंबर 1523/1066 रकबा 0.10 है0, 1525/1067 रकबा 0.05 है0, नया 9 पुराना 10 के खसरा नम्बर 1465/1006 रकबा 1.00 है0 एवं खाता संख्या नया 74 पुराना 56 के खसरा नंबर 1062 रकबा 0.45 है0 खसरा नंबर 1063 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1064 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम बैधाडी गुजरान तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि स्थित है। जिसका सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2021 को तहसीलदार बसवा जिला दौसा के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया है। मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2021 के अनुसार पत्थरगढी कराने के आदेश दिये गये गये हैं। उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट पेश किया। तहसीलदार बसवा जिला दौसा के आदेश क्रमांक 609, 610, 611 दिनांक 02.06.2021 की अनुपालना में पटवारी हल्का ने सीमांकन करने हेतु दिनांक 25.06.2021 को मौके पर पहुंचकर राजस्व ग्राम बेधाडी गुजरान के खसरा नं. 1062 रकबा 0.45, 1063 रकबा 0.13, 1064 रकबा 0.81, खसरा नं. 1522/1065, 1523/1066, 1525/1067 रकबा 0.52, एवं खसरा नम्बर 1465/1006 रकबा 1.00 के सीमाज्ञान करते हुये आवेदकों की खातेदारी की भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा मौके पर जाकर ही सीमाज्ञान किया गया है। सीमाज्ञान का सीमा निशानात कर उपस्थित खातेदारों को मौके पर बताया गया है। मौजूद सभी खातेदारों को मौके पर मौका पर्चा तैयार कर पढकर सुना गया एवं सभी हाजिरानों ने सही होना स्वीकार किया अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर कराये गये है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2022 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है। अतः अपीलाधीन आदेश उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 08.07.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(असलम शेर खान)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner